न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 118/2019

निर्णय दिनांक 12.03.2021

मूली देवी पत्नी सुगनाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—वादिनी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
2. मोहनी पत्नी स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर जिला बीकानेर
3. उदाराम पुत्र स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
4. कान्ता पुत्री स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
5. चुकी पुत्री स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
6. तुलछी पुत्री स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
7. धापू पुत्री स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
8. पूरी पुत्री स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
9. ममता पुत्री स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
10. सावित्री पुत्री स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
11. कालूराम नाबालिग पुत्र स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ कुदरतीवली माता मोहनी पत्नी स्व. जीयाराम जाति जाट निवासी मोमासर जरिये अपनी निवासी मोमासर।

—मुख्य प्रतिवादीगण—

12. नानूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
13. रूपाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
14. शंकरलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ
15. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ

—गौण प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी
2. पैराकारराज स्टेट की तरफ से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 ता 15 के विरूद्ध एकतरफा।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह वाद मूलीदेवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 556 तादादी 62 बीघा 19 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 557 तादादी 28 बीघा 16 बीस्वा कुल तादादी 91 बीघा 15 बिस्वा वाकेरोही मोमासर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के पति/पिता स्व.जीयाराम व गौण प्रतिवादी सं. 12 ता 14 के संयुक्त नाम से रही है यानि उपरोक्त खसरा भूमि में जीयाराम, नानूराम, रूपाराम,शंकरलाल प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित रहा है। उपरोक्त खसरान भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार जीयाराम से वादिनी ने दिनांक 13.07.2006 के जरिये रजि[illegible] खसरा नम्बर 556 व 557 कुल तादादी 91 बीघा 15 बिस्वा वाकेरोही मोमासर [illegible] जियाराम के 1/4हिस्सा में से 12 बीघा भूमि खरीद की थी जिस प[illegible] दिनांकित 04.12.2006 के द्वारा गलत रूप से जीयाराम के नाम 48/367 हिस्सा व वादिनी के नाम 1[illegible]468 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि सही रूप से वादिनी के नाम 48/367 हिस्सा [illegible] जीयाराम के नाम 175/1468 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इन्तकाल 2701 में कांट छांट की गई है पहले

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:35 IST
Reason: SelfAttested

Divya

नुकसान होगा इसलिए वादिनी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादगत खेतों के संबंध में चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाई जानी आवश्यक है। वादिनी उक्त राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करवानें की अधिकारणी है। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। दावा कृषि भूमि की घोषणा, संशोधन व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का होने से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतिवादी सं. 1 के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। अगर स्टेट को दो माह नोटिस देकर इन्तजार किया गया तो उस अवधि में प्रतिवादी सं. 2 ता 11 राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर वादगत खेत को विक्रय, हस्तान्तरण कर देगें व वादीगण को बेदखल कर देगें व दावा करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। धारा 80 (2) सी.पी. सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करनें की छूट न्यायालय श्रीमान से प्राप्त कर ली गई है। प्रतिवादी सं. 12 ता 14 ने वादगत खेतों में वर्णित अपने हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 15 से ऋण ले रखा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 15 को पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत दावा में गौण प्रतिवादीगण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किए गये है। जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है व हस्तगत दावा से गौण प्रतिवादीगणों के हितों पर कोई विपरीत असर नही पडेगा। वादगत खेत ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है इसलिए दावा की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वादीगण का दावा उचित न्याय शुल्क पर व समयावधि के भीतर प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:—

(क) कि वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 777 तादादी 15.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 7.28 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में अंकित वादिनी के 175/1468 हिस्से की बजाय 240/1835 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 ता 11 के प्रत्येक के नाम 24/1835 हिस्से की बजाय प्रतिवादी सं.2 ता 11 के संयुक्त नाम 219/1835 अथवा 175/1468 हिस्से की खातेदारी की घोषणा की जावें।

(ख) कि वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 777 तादादी 15.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 7.28 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में अंकित वादिनी के 175/1468 हिस्से की बजाय 240/1835 हिस्सा घोषित किया जाकर शुद्धिकरण करनें का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जावे व आदेश की पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावें।

(ग) प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 777 तादादी 15.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 तादादी 7.28 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ से वादिनी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे ना ही वादगत खेतो में वादिनी के हक हिस्से की भूमि में प्रवेश करें, ना ही किसी को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिसमें वादिनी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो कि वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावें।

(ड़) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:35 IST
Reason: SelfAttested

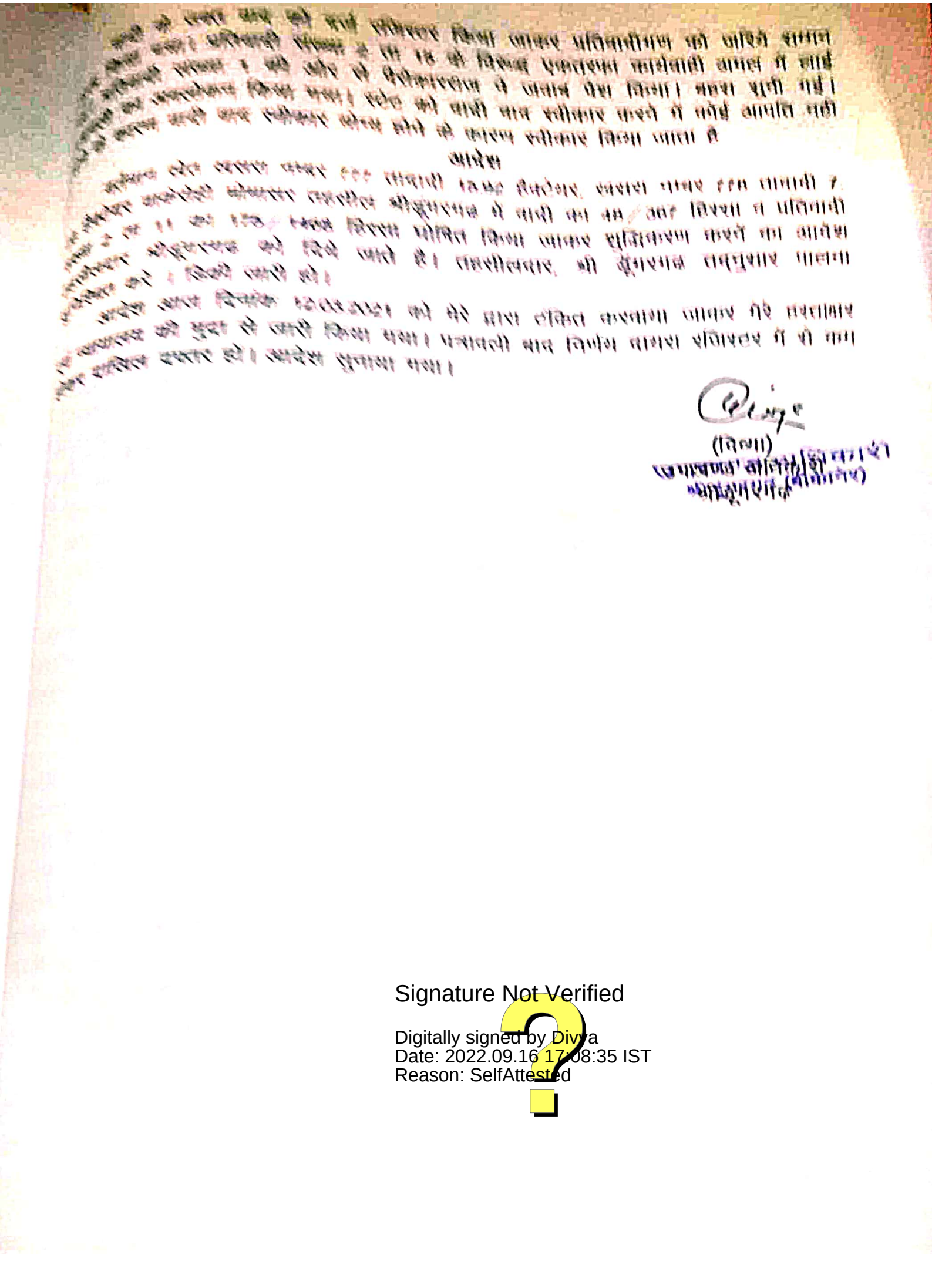

[illegible] के [illegible] दावा को स्वयं स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश [illegible]
[illegible] प्रतिवादी संख्या [illegible] से [illegible] के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई
[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से [illegible] पेश किया। बहस सुनी गई।
[illegible] का अवलोकन किया गया। [illegible] को वादी [illegible] स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं
[illegible] के कारण स्वीकार किया जाता है

आदेश

[illegible] खसरा नम्बर [illegible] श्रीडूंगरमल ने वादी का [illegible] हिस्सा व प्रतिवादी [illegible] किया जाकर शुद्धिकरण करने का आदेश [illegible] श्रीडूंगरगढ को दिये जाते हैं। तहसीलदार, श्री डूंगरगढ तदनुसार पालना [illegible] करें। डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर [illegible] की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय [illegible] में [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:35 IST
Reason: SelfAttested